"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2012—आश्विन 13, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/4465/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-डी-15/13/88/14-3(बी), भोपाल, दिनांक 16-11-1988 द्वारा प्रतापपुर में मण्डी विनियमित की गई तथा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (चार) के अधीन अधिसूचना क्र. 2731/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 18-07-2011 जारी करते हुए, राज्य सरकार ने प्रतापपुर मण्डी को बंद करने के लिए तथा सूरजपुर के मण्डी क्षेत्र के साथ प्रतापपुर के मण्डी क्षेत्र को समामेलित करने के लिए इसके आशय को संसूचित किया है.

अतः, इस संबंध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने लोकहित में निर्णय लिया है कि प्रतापपुर मण्डी यथावत रखी जाये.

अतएव, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त मण्डी क्षेत्र को बंद अथवा समामेलित नहीं किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक/4465/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4465/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No./4465/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./D-15/13/88/14-3 (B), Bhopal, dated 16-11-1988, issued under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Pratappur and by issuance of Notification No./2731/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 18-07-2011 under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, the State Government had signified its intention to disestablish the market of Pratappur and to amalgamate the market area of Pratappur with market area of Surajpur.

Whereas, after considering the objection and suggestion received in this regard, the State Government had decided in public interest that the Pratappur Mandi should be continue.

Now, therefore, the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette there will be no disestablishment or amalgamation of the said market area.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/4467/एफ-04/01/2010/14-2.—यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील, खड़गवां तहसील एवं जनकपुर (भरतपुर) तहसील के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए, क्षेत्र में कृषि उत्पादों की खरीदी एवं बिक्री को विनियमित करने के लिए, मनेन्द्रगढ़ में मण्डी स्थापित करने हेतु, इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, मण्डी क्षेत्र स्थापित करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक माह के अवसान के पश्चात् विचार किया जावेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के कक्ष क्र. 266 दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक/4467/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4467/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No./4467/F-04/01/2010/14-2.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, signifies its intention through this notification to establish a market at Manendragarh for regulating the puchase and sale of agricultural produce in the area comprising of all revenue and forest villages of Manendragarh Tahsil, Khadgawa Tahsil and Janakpur (Bharatpur) Tahsil of Korea District.

Now, therefore, the above referred draft to establish a market area, is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 3 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of one month from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received, from and person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Agriculture Department, Room No. 266, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/4469/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 91-2677/14-1, भोपाल, दिनांक 03-01-1969 द्वारा, तत्कालीन दुर्ग जिले के राजनांदगांव तहसील में तत्कालीन विकासखण्ड क्षेत्र राजनांदगांव के भीतर आने वाले समस्त राजस्व एवं वनग्रामों जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, को समाविष्ट करते हुए, कृषि उत्पाद की खरीदी एवं बिक्री को विनियमित करने हेतु राजनांदगांव में मण्डी स्थापित की गई, जो इसके पश्चात् इस अधिसूचना की अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित मण्डी "राजनांदगांव के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने डोंगरगांव के वर्तमान अधिसूचित मण्डी/क्षेत्र (जो कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची-दो में उल्लिखित है) में से राजनांदगांव तहसील के 23 ग्रामों को अपवर्जित करते हुए तथा राजनांदगांव मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र (जो कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लिखित है) में इसे सम्मिलित करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है, इस प्रकार राजनांदगांव जिले के समस्त वनग्रामों सहित राजनांदगांव तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र (जो कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची-तीन में उल्लिखित है) को समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से अपवर्जित राजनांदगांव तहसील के 23 ग्राम जो कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, को राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव मण्डी के मण्डी क्षेत्र में इसके वर्तमान क्षेत्र सहित सम्मिलित किया जाए.

अनुसूची

1.	भोथपार खुर्द	11.	भंवरमरा	21.	सुकुलदैहान
2.	भोथीपार कला	12.	हरदी	22.	बम्हणी
3.	रानीतराई	13.	इन्दामरा	23.	धनगांव
4.	उसरीबोड़	14.	रीवागहन		
5.	महाराजपुर	15.	बरगा		
6.	आलीखुंटा	16.	रेवाडीह		
7.	धामनसरा	17.	भानपुरी		
8.	ढोड़िया	18.	पेण्ड्री		
9.	सिंघोला	19.	लिटिया		
10.	भोड़िया	20.	गातापार		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक/4469/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4469/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No./4469/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No. 91-2677/14-1, Bhopal, dated 03-01-1969 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) had established market at Rajnandgaon to regulate the purchase and sale of agricultural produce, having market area comprising of all revenue and forest villages specified in the said notification, falling within the then development block area of Rajnandgaon in Rajnandgaon tahsil of the then Durg district, hereafter referred to as "the notified market area of Rajnandgaon" mandi as mentioned in Schedule-One of this notification.

Whereas, by issuance of Notification No./2522/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 04-07-2011 (hereafter to be called as "said notification"), the State Government by exercising the powers conferred under clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its

intention to exclude the 23 villages of Rajnandgaon tahsil therefrom the notified present market area of Dongargaon (as mentioned in Schedule-Two of the said notification) and including the same with presently notified market area of Rajnandgaon mandi (as mentioned in Schedule-One of the said notification), thus comprising of complete area of tahsil Rajnandgaon (as mentioned in Schedule-Three of the said notification) inclusive of all forest villages of Rajnandgaon district.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, 23 villages of Rajnandgaon tahsil excluded therefrom the notified market area of Dongargaon of Rajnandgaon District as mentioned in the Schedule below shall be included in the market area of Rajnandgaon mandi of Rajnandgaon district with its existing area.

SCHEDULE

1.	Bhothpar Khurd	11.	Bhanvarmara	21.	Sukuldaihan
2.	Bhothipar Kala	12.	Hardi	22.	Bamhani
3.	Ranitarai	13.	Indamara	23.	Dhangaon
4.	Usribod	14.	Riwagahan		
5.	Maharajpur	15.	Barga		
6.	Aalikhunta	16.	Rewadih		
7.	Dhamansara	17.	Bhanpuri		
8.	Dodiya	18.	Pendri		
9.	Singhola	19.	Litiya		
10.	Bhodiya	20.	Gatapar		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/4471/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. सी-6-23/77/14-3, भोपाल, दिनांक 15-12-1981 द्वारा सरगुजा जिले के अम्बिकापुर तहसील के तत्कालीन विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, राजपुर, धौलपुर एवं उदयपुर के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को मण्डी क्षेत्र के रूप में समाविष्ट करते हुए, अम्बिकापुर में मण्डी विनियमित की गई.

यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने सीतापुर मण्डी को बंद करने हेतु, अधिसूचना क्र. 2642/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 17-07-2011 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सरगुजा जिले के सीतापुर मण्डी के मण्डी क्षेत्र जो कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, को सरगुजा जिले के अम्बिकापुर मण्डी के मण्डी क्षेत्र में इसके वर्तमान क्षेत्र सहित सम्मिलित किया जाए.

अनुसूची

सरगुजा जिले के सीतापुर मण्डी के वर्तमान तहसील सीतापुर, बतौली, नर्मदापुर एवं मैनपाट के सम्पूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्रमांक/4471/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4471/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 05-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 5th October 2012

NOTIFICATION

No./4471/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./C-6-23/77/14-3, Bhopal, dated 15-12-1981 issued under the provision of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Ambikapur, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then development blocks Ambikapur, Lakhanpur, Rajpur, Dhoulpur and Udaypur of Ambikapur tahsil of Sarguja District.

Whereas, by issuance of Notification No. 2642/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 17-07-2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to disestablish the market of Sitapur.

Now, therefore, the State Government by exercising the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), hereby, direct that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the market area of Sitapur Mandi of Sarguja District as mentioned in Schedule below, shall be included in the market area of Ambikapur Mandi of Sarguja District with its existing area.

SCHEDULE

Complete area inclusive of all revenue and forest villages of present tahsil Sitapur, Batoli, Narmadapur and Mainpat area of Mandi Sitapur of Sarguja district.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.